

# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।

(आई.एस.ओ. 9001-2015 प्रमाणित संस्थान)

## महत्वपूर्ण सूचना


शैक्षिक सत्र 2020-21 के मिडल, सैकेण्डरी एवं सी0 सैकेण्डरी स्तर के केवल स्थाई मान्यता प्राप्त अराजकीय विद्यालयों से निरन्तरता शुल्क/सम्बद्धता आवेदन-पत्र प्राप्त करने की तिथियाँ निम्न प्रकार से बढ़ाई गई हैं :-

बिना विलम्ब शुल्क सहित बढ़ाई गई तिथि	15.10.2020 से 21.10.2020 तक
विलम्ब शुल्क 5,000/- रुपये सहित	22.10.2020 से 06.11.2020 तक

सम्बद्धता आवेदन-पत्र व शुल्क पंजीकृत डाक के माध्यम से अथवा दस्ती तौर पर बोर्ड कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। सम्बद्धता शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा बोर्ड कार्यालय के फीस काउन्टर पर नकद भी जमा करवाया जा सकता है। सम्बद्धता आवेदन-पत्र व शुल्क ऑन-लाईन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सम्बद्धता आवेदन-पत्र का प्रारूप बोर्ड वेबसाइट [www.bseh.org.in](http://www.bseh.org.in) पर उपलब्ध है। सम्बद्धता निरन्तरता शुल्क 2,000/- रुपये जमा करवाया जाना है, जो विद्यालय प्रथम बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से मिडल कक्षा तक की सम्बद्धता लेता है, वो विद्यालय 8,000/- रुपये सम्बद्धता शुल्क के साथ सम्बद्धता के लिए आवेदन करेगा।

अतः गत वर्ष की भान्ति विद्यालय जिस कक्षा तक भी स्थाई मान्यता प्राप्त हैं, उसे भी अपनी निरन्तरता फीस जमा करवानी है। सम्बद्धता आवेदन पत्र के अनुसार सभी दस्तावेज/शुल्क भी जमा करवाना सुनिश्चित करें। नवीनतम सोसायटी की पंजीकरण की प्रति भी जमा करवानी होगी।

जो विद्यालय अस्थाई मान्यता प्राप्त है, उनकी सूचि निदेशक, शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकुला से प्राप्त होने उपरान्त सम्बद्धता आवेदन की तिथि निर्धारित की जाएगी।

  
सहायक सचिव (सम्बद्धता)  
कृते : सचिव